COURT FEE 10 रु. भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES Rs.10

(28)

न्यायालय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

R 4317-I-16 प्र0क0— निगरानी/2016—17

विष्णु प्रसाद आसोपा पुत्र
स्व.श्री नन्दलाल आसोपा
नि0— मण्डी गुलाबगंज तहसील
गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0।

.... आवेदक

विरूद्ध

1— राजेश कटारे आत्मज
श्री शिवनारायण नि0—ग्राम संतापुर
तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0।
2— तहसीलदार
तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0।

...................अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा—50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 द्वारा उनके प्रकरण क्रमॉक—02/अ—12/16—17 में पारित आदेश दिनॉक—21—10—2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है,कि उपरोक्त अनावेदकगण क्रमॉक—1 ग्राम—संतापुर पहटवारी हल्का क्रमॉक—3 के सर्वे क्रमॉक 92 रकबा 0.209, सर्वे क्रमॉक—104 रकबा 0.924 एवं सर्वे क्रमॉक—106 रकबा 0.157 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन—पत्र तहसीलदार तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उनके द्वारा उपरोक्त आवेदन—पत्र को राजस्व निरीक्षक को अग्रेषित किया गया।

यह कि राजस्व निरीक्षक ने उपरोक्त आवेदन—पवत्र पर कार्यवाही करते दिनॉक—26—05—2016 को पटवारी को सीमांकन करने हेतु पत्र जारी किया। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा प्रकिया का पालन किए बिना ही दिनॉक—17—10—2016 को पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनॉक—21—10—2016 को सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण हुई

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4317-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	